

संख्या- 154 -औस/2011-11(4)एफ/86(टीसी)

दिनांक 28 जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी पूर्व परिषदीय आदेश सं० 2088-NG II/ SEB (IV)-29 NG- II/ 78, दिनांक 24.05.1978 एवं 2930-औस/2008 11(4)एफ/86(VOL-I) दिनांक 04.08.2008 के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों उनके आश्रितों व पारिवारिक पेशनर्स द्वारा गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय जिनका पंजीकरण चिकित्सालय के रूप में सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय द्वारा विधिवत् किया गया हो (इसमें प्राइवेट क्लीनिक अथवा नर्सिंग होम सम्मिलित नहीं माने जायेगे) में भर्ती होकर करायी गयी चिकित्सा/उपचार पर हुये चैकित्सिक व्यय का 70 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है। यह आदेश निदेशक मण्डल की 84वीं बैठक में लिए निर्णय अनुसार दिनांक 20.07.2010 से प्रभावी होगा।

निदेशक मंडल की आज्ञा से,
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या- 154-(1) -औस/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल लखनऊ/पूर्वांचल वाराणसी/पश्चिमान्चल मेरठ/दक्षिणांचल आगरा/केस्को-कानपुर।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (वितरण एवं पारेषण) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
3. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक एवं उप महाप्रबन्धक लेखा/वित्त, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी (उत्पादन निगम) शक्ति भवन लखनऊ।
8. अधिशाली अभियन्ता (बेवसाइट) कक्ष सं० 407 उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ को इस आशय से कि इस आदेश की प्रति कारपोरेशन की बेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा करे।
9. सचिव विद्युत कर्मचारी पेंशनर्स परिषद 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ।
10. सचिव ट्रस्ट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कट फाइल।

भवदीय,
Naf Mathur
(नवनीत माथुर)
कार्मिक अधिकारी
28.1.11

MEDICAL